केन्द्रीय विद्यालय संगठन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुखयालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area ,Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, फैक्स/ FAX 26514179
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/ Email: kvshindisection@gmail.com

एफ 11025/4/10 केविसं/हि./271-360 दिनांक : 05 मार्च 2015

उपायुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: पत्राचार में हिंदी के प्रयोग के संबंध में

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर पुनः यह सूचित करना है कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी पत्राचार के संबंध में निम्नानुसार क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित हैं:-

'क' क्षेत्र	→	100%	100%	65%
'ख' क्षेत्र	→	90%	90%	55%
'ग' क्षेत्र	→	55%	55%	55%

2. इसके साथ-साथ **राजभाषा नियमों में यह भी उल्लेख है कि 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिये जाने आवश्यक हैं।**

3. माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा समय-समय पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के विभिन्न कार्यालयों/विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के दौरान प्रायः हिंदी पत्राचार से संबंधित उपर्युक्त बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की जाती है और यह पाया जाता है कि संबंधित कार्यालय द्वारा हिंदी पत्राचार के संबंध में निर्धारित उपर्युक्त लक्ष्य और राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी का प्रयोग नहीं किया जा रहा। संसदीय समिति द्वारा इस विषय में अंततः निष्कर्ष रूप में यह कहा जाता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में हिंदी जानने वाले (विशेष रूप से हिंदी में प्रवीणता प्राप्त) कार्मिकों द्वारा अपनी उपलब्ध क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं किया जा रहा।

अतः संगठन (मु.) सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक संस्थानों एवं केंद्रीय विद्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालयों में हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के उद्देश्य से उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करे और हिंदी के कार्यों के संबंध में अपनी क्षमताओं का पूर्ण-रुपेण उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य का पालन सुनिश्चित किया जाए।

इस सम्बन्ध मे निजी ध्यान दिया जाए एवं किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

भवदीय
3/3/2015
(जी. के. श्रीवास्तव)
अपर आयुक्त (प्रशा.)

प्रतिलिपि :
1. सभी अधिकारी/अनुभाग केविसं (मु.) नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित है कि हिंदी में प्रवीण कार्मिकों द्वारा अपना संपूर्ण सरकारी काम हिंदी में किया जाए।
2. शिक्षा एवं प्रशिक्षण, के. वि. सं., के समस्त आंचलिक संस्थान।
3. गार्ड फाइल।